FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0273 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 16/10/2025 19:06 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 09/10/2025 Date To (दिनांक तक): 15/10/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 14:00 बजे Time To (समय तक): 12:06 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 16/10/2025 Time (समय): 18:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 16/10/2025 19:06:46 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-WEST, 05 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
      (b)Address(पता): PARISAR AAYKAR VIBHAG,., JAIPUR
      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
      Name of P.S (थाना का नाम):
      District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SAKET AGARWAL

(b) Father's Name (पिता का नाम): SURESH CHAND GUPATA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1981 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	27, EVEREST VIHAR KINGHS ROAD, NIRMAN NAGAR,JAIPUR, SHYAM NAGAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	27, EVEREST VIHAR KINGHS ROAD, NIRMAN NAGAR,JAIPUR, SHYAM NAGAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VISHNU PAREEK		पिता:RAMBABU PAREEK	1. FLAT G-2,GROUND FIOOR,SHYAM SAROVER-2,POLT 38,AGARWAL MOHALLA,PANCHYAT SAMITI KE PASS,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 09.10.2025 को श्री ज्ञानप्रकाश नवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर द्वारा मन् सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर पूर्व से सामने बैठे हुए व्यक्ति का परिवादी श्री साकेत अग्रवाल के रूप में परिचय करवाते हुये उसके द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर मन उप अधीक्षक पुलिस के नाम पृष्ठांकित करते हुये नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही करने हेतु सुपुर्द किया, इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्रार्थना पत्र व परिवादी श्री साकेत अग्रवाल को हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया और परिवादी श्री साकेत अग्रवाल को अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री साकेत अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश चन्द गुप्ता उम्र 44 साल निवासी 27 एवरेस्ट विहार किंग्स रोड़, निर्माण नगर जयपुर मोबाईल नम्बर [redacted]होना बताया। परिवादी श्री साकेत अग्रवाल द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर विषयः- रिश्वत लेने हेतु कार्यवाही करवाने बाबत्। महोदय निवेदन है कि मैं जवाहरात का TRADING का काम करता हूं मेरी फर्म 'साकेत जेम्स' के नाम से है जिसका पता 27 ऐवरेस्ट विहार किंग्स रोड़, निर्माण नगर जयपुर है एवं फर्म का मैं ही प्रोपराइटर हूं। वर्ष 2014-2015 के आयकर रिटर्न भरने के पश्चात आयकर विभाग जयपुर राजस्थान द्वारा मेरी फर्म की ITR पर आक्षेप लगाकर ओर कर (आयकर) जमा कराने का नोटिस निकाला जिस पर मैंने आयकर विभाग में लगभग 27 लाख जमा करवा दिये और इसके बाद मैंने आयकर विभाग के विरूद्ध अपील दायर कि जिसका आयकर अपील संख्या 646/JPR/2024 निर्धारण वर्ष 2014-2015 है। इस अपील पर आयकर अपीलीय अधिकरण जयपुर न्यायापीठ जयपुर द्वारा दिनांक 01/10/2024 को फैसला मेरे पक्ष में करते हुए ITO WD2-(3) जयपुर द्वारा वर्ष 2014-2015 की स्कूटनी के जमा रूपये मय ब्याज के लोटाने के आदेश किये जिस पर आयकर विभाग द्वारा मेरे SBI BANK के खाते में 39,96,815/- रूपये आये। इसके अलावा मेरा वर्ष 2018-19 का एक ओर प्रकरण ITO में पैण्डिंग है। जिसमें आयकर विभाग द्वारा फैसला किया जाना बाकी है, जो करीब 25 लाख रूपये है। वर्ष 2014-15 का रिफंड आने के पश्चात् एवं अन्य फंड रिलीज करने के सम्बंध में विष्णु पारीक जो आयकर विभाग जयपुर में कार्यरत है उसने मेरे से फोन से सम्पर्क किया व कहा कि आपका बड़े Amount का फंड हमने रिलीज करवाया है ओर दीपावली आ रही है क्या सेवा करोगे। इसके अलावा स्वयं के साथ साथ साथी कर्मचारियो के लिए रूपये की मांग की ओर कहा कि आपके अन्य प्रकरण में भी मदद करते रहेगे ओर आप भी हमारा ध्यान रखते रहो। मैं रिश्वत नही देना चाहता ओर विष्णु पारीक एवं अन्य को रिश्वत राशि देते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। कृपया कार्यवाही करे। एसडी साकेत अग्रवाल दिनांक 09/10/2025 प्रार्थी साकेत अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश चन्द गुप्ता पता 27 ऐवेरेस्ट विहार किंग्स रोड निर्माण नगर जयपुर मो0-[redacted] तत्पश्चात परिवादी ने दरियाफ्त पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं जेम्स का कार्य करता हूं। मेरी आईटीआर सम्बंधित मामले में माननीय न्यायालय द्वारा भूगतान के आदेश होने के बाद काफी समय बाद आयकर विभाग ने पैमेंट किया था और पैमेंट होने के बाद मेरे रिश्वती राशि मांगकर परेशान कर रहे है। मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा हस्तलिखित है। मेरी श्री विष्णु जी पारीक से पूर्व में कोई लेन-देन व रंजिश नही है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही के बारे में बताने पर परिवादी श्री साकेत अग्रवान ने कहा कि मैं विष्णु जी से मिलने के सम्बंध में व्हाट्सअप कॉल पर वार्ता कर उनसे मिलकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री प्रदीप कुमार कानि नं0 245 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री साकेत अग्रवाल व कानि0 का आपस

में परिचय करवाया। तत्पश्चात श्री ब्रह्मप्रकाश हैड कानि0 99 से कार्यालय के मालखाने से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर व SanDisk 32GB नया मैमोरी कार्ड मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री साकेत अग्रवाल को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालू व बंद करने की प्रक्रिया को समझाया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री साकेत अग्रवाल ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि कल मैं विष्णु जी से वार्ता कर मिलकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। मेरी उनसे पूर्व में वार्ता हुई तो उनको मैंने स्वयं को बाहर होना बताया था। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कानि0 श्री प्रदीप कुमार को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुपुर्द कर हिदायत दी कि दिनांक 10.10.2025 को परिवादी श्री साकेत अग्रवाल के ब्यूरो कार्यालय आने पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करे। दिनांक 10.10.2025 को मन् उप अधीक्षक पुलिस ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने पर श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 ने बन्द हालात में विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अवगत कराया कि परिवादी श्री साकेत अग्रवाल के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने के तत्पचात् 11.56 एएम पर परिवादी श्री साकेत अग्रवाल के मोबाईल नम्बर [redacted] से संदिग्ध श्री विष्णु पारीक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर ऑपन स्पीकर करवाकर व्हाट्सअप कॉल करवाया गया, जिस पर दोनो के मध्य आयकर विभाग के कार्यालय की पार्किंग में बाहर ही मिलना तय हुआ। तत्पश्चात् समय 12.10 पीएम पर मैं परिवादी के साथ उसके निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर आयकर विभाग स्टेच्यु सर्किल पहुंचे, जहां पर मुझ कानि0 द्वारा परिवादी श्री साकेत अग्रवाल को रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बंध में मुनासिब हिदायत कर समय 12.26 पीएम पर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द कर उनके निजी वाहन से आयकर विभाग के कार्यालय के पार्किंग में रवाना किया गया। मैं भी परिवादी की कार के पीछे-पीछे आयकर विभाग की पार्किंग में जाकर परिवादी की कार से निर्धारित दूरी बनाकर अपनी पहचान छुपाते हुए मुकीम हो गया। कुछ समय बाद परिवादी के पास एक व्यक्ति आया और कार में बैठ गया और कुछ समय बाद वापिस कार से उतरकर चला गया। तत्पश्चात् परिवादी अपने निजी वाहन से रवाना हुआ और मैं भी उसके पीछे-पीछे रवाना होकर निर्धारित स्थान पर पहुंचा, जहां पर परिवादी से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर सुरक्षित अपने पास रखा गया और परिवादी ने बताया कि मैं रवाना होकर इन्कम टैक्स की पार्किंग में जाकर विष्णु जी को व्हाट्सअप कॉल कर बुलाया और विष्णु ने मेरे से 20 हजार रूपये रिश्वती राशि की मांग की थी और मैंने उनको विश्वास में लेने के लिए 5 हजार रूपये रिश्वती राशि दी तो उन्होने मुझे 10 हजार रूपये और रिश्वती राशि देने के लिए कहा है। तत्पश्चात् मैं परिवादी के साथ रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय आया और परिवादी को आवश्यक कार्य होने के कारण चले गये। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर चलाकर सुना गया तो कानि0 द्वारा बताये गये कथनो की ताईद हुई और संदिग्ध श्री विष्णु पारीक द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांगने के तथ्य स्पष्ट तौर पर प्रकट होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं परिवादी श्री साकेत अग्रवाल को जरिये फोन रिश्वती राशि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया तो परिवादी ने बुधवार तक रिश्वती राशि की व्यवस्था करके ब्यूरो कार्यालय में आने के लिए कहा। दिनांक 14.10.2025 को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री साकेत अग्रवाल से जरिये मोबाईल संपर्क किया गया तो उसने कहा कि मैं कल दिनांक 15.10.2025 को संदिग्ध को दी जाने वाली रिश्वत राशि लेकर आपके पास कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। तदुपरान्त कार्यालय के श्री ब्रह्मप्रकाश हैड कानि0 नं0 99 को पूर्व से पाबन्ध शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में तलब करने व ट्रेप बॉक्स तैयार करने तथा चौकी हाजा के समस्त स्टाफ को दिनांक 15.10.2025 को समय 09.30 एएम पर ब्युरो कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत दी गई। दिनांक 15.10.2025 को चौकी हाजा का समस्त स्टाफ ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने के पश्चात अग्रीम कार्यवाही शुरू की गई। कार्यालय में उपस्थित हुये दोनो स्वतंत्र गवाहन को नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री महेश शर्मा पुत्र श्री राजेश कुमार शर्मा, उम्र 43 साल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-मकान नम्बर 1003, लक्ष्मीनारायणपुरी, जतीजी की बगीची, थाना रामगंज, जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय आरएसआरडीसी, झालाना, जयपुर, मोबाईल नम्बर-[redacted] व दूसरे ने अपना नाम श्री नरेन्द्र कुमार ईनाणिया पुत्र स्व0 श्री भागीरथराम चौधरी, उम्र 48 साल, जाति-जाट, निवासी-91, गणेश कॉलोनी, खातीपुरा, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर। मोबाईल नम्बर-[redacted], जिनसे गोपनीय कार्यवाही में सम्मलित होने की सहमति चाही गई तो दोनों ने पृथक-पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। जिस पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुये परिवादी श्री साकेत अग्रवाल से दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री महेश शर्मा व श्री नरेन्द्र कुमार ईनाणियां का आपस में परिचय करवाकर जाकर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र स्वतंत्र गवाहान को पढवाया, इस दौरान परिवादी साकेत अग्रवाल ने बताया कि संदिग्ध श्री विष्णु पारीक, आयकर विभाग जयपुर में एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) के पद पर पदस्थापित है। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान से प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये और अब तक की गई रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही से अवगत करवाया गया। समय 10.20 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाहन श्री महेश शर्मा व श्री नरेन्द्र कुमार ईनाणियां की मौजूदगी में परिवादी श्री साकेत अग्रवाल को संदिग्ध श्री विष्णु पारीक को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा गया, जिस पर परिवादी श्री साकेत अग्रवाल ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के

कुल राशि 10,000/-रूपये निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, उक्त नोटों का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट कुल 20 नोट राशि 10,000/-रूपये पर फिनोफ्थीलन पाउडर लगवाने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी साकेत अग्रवाल के समक्ष कार्यालय के श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा की आलमारी में से फिनोफ्थीलन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर नियमानुसार उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री साकेत अग्रवाल की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र कुमार ईनाणिया से लिवाई जाकर उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त नोट सीधे ही श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक से परिवादी श्री साकेत अग्रवाल की पहनी हुई की जैब में रखवाये जाकर हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवें तथा आरोपी द्वारा रिश्वत लेने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करें एवं रिश्वत राशि को कहां रखता है यह भी ध्यान रखें एवं साथ ही स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री साकेत अग्रवाल को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक से गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास तथा उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बे को वापस कार्यालय की अलमारी में रखवाकर श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक के हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे़ गये। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयां को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये जाकर सुखने के उपरान्त एवं नये डिस्पोजल प्लास्टिक के गिलास एवं चम्मच ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए पूर्व में रिश्वत मांग सत्यापन में काम में लिए गये विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड कानि0 श्री कपिल कुमार कानि. 377 को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक को कार्यालय में ही रहने की हिदायत की गई। दर्ज रहे कि परिवादी श्री साकेत अग्रवाल के मोबाईल पर आरोपी श्री विष्णु पारीक के मोबाईल से समय 10.51 एएम व 10.52 एएम पर जरिये वॉट्सअप मिस कॉल आने पर परिवादी द्वारा आरोपी श्री विष्णु पारीक को वॉट्सअप कॉल ऑपन स्पीकर कर बात की गई कि "मैं आ रहा हूं, जिस पर आरोपी ने सहमति देते हुये उसी जगह मिलने का कहा"। उक्त वार्ता को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। समय 11.30 एएम पर श्री ज्ञान प्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मन् सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस मय श्री नाथुलाल पुलिस निरीक्षक, श्री हरिभजन स0उ0नि0, श्री ब्रह्मप्रकाश हैड कानि0 नं0 99, श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592, श्रीमती पिंकी कंवर म0 कानि0 नं0 11, श्री प्रवीण नारोलिया कानि0 222,एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को साथ लेकर जरिये सरकारी वाहनों के मय चालक मय लेपटॉप, प्रिन्टर, विडियो कैमरा, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के वास्ते करने गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में एसीबी कार्यालय, जयपुर से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही रवाना हुये तथा साथ ही परिवादी श्री साकेत अग्रवाल के साथ श्री कपिल कुमार कानि. 377 को परिवादी की निजी कार से रवाना किया गया। समय 11.58 एएम मन उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय आयकर विभाग जयपुर के पास पहुंच सरकारी वाहन को रोड के किनारे खडा किया गया। परिवादी श्री साकेत अग्रवाल व श्री कपिल कुमार कानि0 नं0 377 भी कार्यालय आयकर विभाग जयपुर के पास पहुंच गये है। इसके पश्चात श्री कपिल कुमार कानि0 द्वारा वॉईस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध से रिश्वत लेन-देन हेतु आयकर विभाग कार्यालय में रवाना किया गया तथा पीछे पीछे मन टीएलओ मय समस्त टीम भी पहचान छिपाते हुये रवाना हुये। दर्ज रहे कि समय 11.59 एएम पर श्री कपिल कुमार कानि. 377 द्वारा परिवादी श्री साकेत अग्रवाल को आयकर विभाग, कार्यालय के गेट के बाहर परिवादी की गाडी में वॉइस रिकॉर्डर चालू कर संदिग्ध श्री विष्णु पारीक के पास कार्यालय आयकर विभाग, जयपुर में रिश्वत लेन-देन हेतु रवाना किया गया एवं श्री कपिल कुमार कानि. 377 को परिवादी के पीछे-पीछे रवाना कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय समस्त ट्रेप टीम, दोनो स्वतंत्र गवाहन के परिसर आयकर विभाग, जयपुर में अपनी पहचान छुपाते हुए ट्रेप जाल बिछाकर आयकर

रहा है, मैने मेरी फर्म साकेत जैम्स की आईटीआर पर आयकर विभाग द्वारा लगाये गये आक्षेप के संबंध में आयकर विभाग द्वारा निकाले गये नोटिस की ऐवज में 27,00,000/- रूपये आयकर विभाग में जमा करवाये थे तथा इसके विरूद्ध मेरे द्वारा अपीलीय अधिकरण न्यायालय में दायर अपील में मेरे पक्ष में फैसला होने पर आयकर विभाग द्वारा मेरी फर्म के खाते 39,96,815/- रूपये जमा करवाये गये थे तथा वर्ष 2018-19 का एक प्रकरण 25,00,000/- रूपये का आयकर विभाग में अब भी पैण्डिंग चल रहा है। श्री विष्णु पारीक ने मेरे खाते में जमा हुये 39,96,815/- रूपये की सेवा पानी के रूप में तथा पैण्डिंग चल रहे अन्य प्रकरणो में मदद की ऐवज में दिनांक 10.10.2015 को भी रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान श्री विष्णु पारीक ने मेरे से 5,000/-रूपये रिश्वत के रूप में प्राप्त किये थे तथा 10,000/-रूपये और देने के लिए कहा था, जिस पर आज विष्णु पारीक ने मेरे से मेरे उक्त कार्य की ऐवज में 10,000/-रूपये प्राप्त कर अपनी शर्ट की जैब में रखे थे। जिस पर आरोपी श्री विष्णु शर्मा ने अपनी गलती स्वीकार करते हुये कहा कि मैं चार साल पहले ही मेरे पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी लगा हूं, मैं आईन्दा किसी से भी रिश्वत नही लूंगा, मैंने दिवाली पर मिठाई व सेवा के रूप में इससे रूपये लिये थे, मेरे से गलती हो गई मुझे माफ कर दों। तदुपरान्तर आरोपी श्री विष्णु पारीक के दोनो हाथों के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसमें आरोपी श्री विष्णु पारीक के दोनो हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलासो में एक-एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री विष्णु पारीक के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को मटमेला होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री विष्णु पारीक एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री विष्णु पारीक के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को मटमेला होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री विष्णु पारीक एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री विष्णु पारीक द्वारा परिवादी श्री साकेत अग्रवाल से प्राप्त रिश्वती राशि के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10,000/-रूपये जो स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र कुमार ईनाणियां के पास सुरक्षित रखवाये गये थे को एक साईड से कागज में बांधकर सीव्ड मोहर कर मार्क M अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसके पश्चात आरोपी श्री विष्णु पारीक के पहनी हुई शर्ट की जैब जिसमें रिश्वत राशि आरोपी द्वारा परिवादी से प्राप्त कर रखी गई थी, उक्त जैब के अन्दर से धोवन लेने हेतू नियमानुसार नई शर्ट मंगवाकर आरोपी की पहनी हुई शर्ट को उतरवाकर उसके जैब को उलटकर धोवन की कार्यवाही की गई तथा आरोपी को नई शर्ट पहनाई गई। शर्ट के जैब की धोवन की कार्यवाही के क्रम में ट्रेप बॉक्स में से एक नया पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलास में एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के तैयारशुदा घोल में उक्त शर्ट के जैब को उलटकर उक्त तैयारशुदा घोल में डुबोकर धोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को गुलाबी होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क S-1 व S-2 अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथ शर्ट की जैब का सुखाकर जैब पर दोनो स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री विष्णु पारीक एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शर्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली को शील्डमोहर कर मार्क S अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा संदिग्ध श्री विष्णु पारीक द्वारा उपयोग में लिये जा रहे मोबाईल फोन आईफोन-14 बरंग सिल्वर, जिसमें जीओ कंपनी की सिम नम्बर 7014558042 लगी हुई है तथा मोबाईल के पासवर्ड 1988 है, उक्त मोबाईल को अनुसंधान के प्रयोजनार्थ कब्जा एसीबी लिया गया। अब तक की गई ट्रेप कार्यवाही मांग सत्यापन दिनांक 10.10.2025 तथा रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 15.10.2025 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ताओं के अवलोकन से पाया गया कि आरोपी श्री विष्णु पारीक हाल एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) रेंज-प्रथम, आयकर विभाग, जयपुर को उसके द्वारा परिवादी श्री साकेत अग्रवाल से उसके वैध कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से परिवादी साकेत अग्रवाल की फर्म साकेत जैम्स की आईटीआर 2014-15 पर आयकर विभाग द्वारा आक्षेप लगाकर निकाले गये नोटिस की ऐवज में 27,00,000/- रूपये परिवादी द्वारा आयकर विभाग में जमा करवाने, इसके विरूद्ध परिवादी द्वारा आयकर अपीलीय अधिकरण न्यायापीठ, जयपुर में दायर की गई अपील का फैसला परिवादी के पक्ष में आने पर आयकर विभाग, जयपुर द्वारा

परिवादी की फर्म के खाते में 39,96,815/- रूपये जमा (रिलीज) करवाने पर उक्त रिलिज हुई राशि के सेवा पानी के रूप में तथा परिवादी का वर्ष 2018-19 के 25,00,000/- रूपये का आयकर विभाग में पैण्डिंग चल प्रकरण तथा अन्य प्रकरण में परिवादी की मदद करने की ऐवज में आरोपी श्री विष्णु पारीक एमटीएस, रैंज-प्रथम, आयकर विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 10.10.2015 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 5,000/-रूपये रिश्वत के रूप में प्राप्त करना एवं आज दिनांक 15.10.2025 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान 10,000/-रूपये प्राप्त करने के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये है। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री विष्णु पारीक हाल एमटीएस, रैंज-प्रथम, आयकर विभाग, जयपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। आरोपी श्री विष्णु पारीक को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में दिनांक 10.10.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड आवाज एवं ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 15.10.2025 को रिकॉर्ड हुई स्वयं की आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी श्री विष्णु पारीक ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री विष्णु पारीक पुत्र स्व. श्री रामबाबु पारीक, जाति ब्राह्मण, उम्र 38 साल निवासी फ्लेट नम्बर जी-2, ग्राउण्ड फ्लोर, श्याम सरोवर,-द्वितीय, प्लॉट नम्बर 38, अग्रवालों का मोहल्ला, पंचायत समिति के पास झोटवाडा, पुलिस थाना झोटवाडा, जयपुर हाल एमटीएस, रेंज प्रथम, आयकर विभाग, जयपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री विष्णु पारीक हाल एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) रेंज-प्रथम, आयकर विभाग, जयपुर को हस्बकायदा जरिये फर्द पृथ्क से गिरफ्तार किया गया। फर्द नमूना शील पृथक से तैयार की गई। प्रकरण के घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं व रिश्वत लेन-देन वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जाकर रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन वार्ताओं की तीन-तीन डीवीडियां क्रमशः A-1, A-2, A-3 व B-1, B-2, B-3 तैयार की गई, जिनमें सी डीवीडी मार्क A-1 व B-1 (कंट्रोल सैम्पल), A-3 व B-3 (एडीपी कॉपी) को पृथक-पृथक शील्ड किया गया तथा A-2 व B-2 को अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। इसी प्रकार रिश्वत मांग सत्यसपन हेतु काम में लिया गया मैमोरी कार्ड Sandisc 32 जीबी तथा रिश्वत लेन-देन हेतु काम में लिया गया मैमोरी कार्ड Sandisc 32 जीबी को शील्ड मोहर कर मार्क क्रमशः MC व MC-1 अंकित किया गया। उक्त फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन व लेन-देन की पृथक से विस्तृत फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। अतः आरोपी श्री विष्णु पारीक पुत्र स्व. श्री रामबाबु पारीक, जाति ब्राह्मण, उम्र 38 साल निवासी फ्लेट नम्बर जी-2, ग्राउण्ड फ्लोर, श्याम सरोवर,-द्वितीय, प्लॉट नम्बर 38, अग्रवालों का मोहल्ला, पंचायत समिति के पास झोटवाडा, पुलिस थाना झोटवाडा, जयपुर हाल एमटीएस, रेंज प्रथम, आयकर विभाग, जयपुर के विरूद्ध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।(सुरेश कुमार स्वामी)पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरोजयपुर नगर-तृतीय, जयपुर...........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश कुमार स्वामी पुलिस उप अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी आरोपी श्री विष्णु पारीक पुत्र स्व. श्री रामबाबु पारीक, जाति ब्राह्मण, उम्र 38 साल निवासी फ्लेट नम्बर जी-2, ग्राउण्ड फ्लोर, श्याम सरोवर,-द्वितीय, प्लॉट नम्बर 38, अग्रवालों का मोहल्ला, पंचायत समिति के पास झोटवाडा, पुलिस थाना झोटवाडा, जयपुर हाल एमटीएस, रेंज प्रथम, आयकर विभाग, जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री छोटी लाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 483- पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1546-49 दिनांक 16.10.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर, क्रम-1 2. अपर आयकर आयुक्त, रेन्ज-प्रथम, जयपुर 3-उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

विभाग कार्यालय के परिसर के अन्दर कार पार्किंग के पास जहां परिवादी की कार के आसपास परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकीम हुए। कुछ समय पश्चात एक मोटा सा व्यक्ति परिवादी की कार के पास आया और परिवादी की कार में ड्राईवर सीट के बगल में बैठ गया, जिस पर मन् टीएलओ द्वारा समस्त ट्रेप टीम को अलर्ट किया गया, समय 12.06 पीएम पर परिवादी ने अपनी गाडी की बांयी तरफ इण्डीकेटर की लाईट जलाकर निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय एसीबी टीम एवं स्वतंत्र गवाहान के परिवादी की कार के पास पहुंचे तो कार की ड्राईवर सीट के बांयी तरफ बेठा संदिग्ध व्यक्ति कार का गेट खोलकर निकलने लगा, जिस पर मन् टीएलओ द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को डिटेन कर कार की पीछे की सीट पर बैठाया तथा परिवादी श्री साकेत अग्रवाल से मन् टीएलओ द्वारा वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। इसके पश्चात शेष ट्रेप टीम के सदस्य श्री नाथुलाल पुलिस निरीक्षक व सुभाष कानि. 592 के साथ डिटेनशुदा संदिग्ध को परिवादी की कार में बैठाकर उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विष्णु पारीक पुत्र स्व. श्री रामबाबु पारीक, जाति ब्राह्मण, उम्र 38 साल निवासी फ्लेट नम्बर जी-2, ग्राउण्ड फ्लोर, श्याम सरोवर,-द्वितीय, प्लॉट नम्बर 38, अग्रवालों का मोहल्ला, पंचायत समिति के पास झोटवाडा, पुलिस थाना झोटवाडा, जयपुर हाल हाल एमटीएस, रेंज प्रथम, आयकर विभाग, जयपुर बताया तथा परिवादी से लिये गये रूपयों के बारे में पुछा तो संदिग्ध ने बताया कि रूपये मेरी शर्ट की उपर की जैब में है। जिस पर सरसरी तोर पर देखा तो रिश्वत राशि संदिग्ध की शर्ट की उपरी जैब में होना पाया गये। चूंकि उक्त स्थान कार्यालय, आयकर विभाग, जयपुर परिसर में व्यक्तियों की आमद-रफत, भीडभाड, काफी व्यस्त होने से अग्रीम ट्रेप कार्यवाही करने के लिए सुरक्षित प्रतीत नही है, अतः अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतू समस्त ट्रेप टीम व डिटेनशुदा संदिग्ध श्री विष्णु पारीक मय परिवादी को साथ लेकर पास में ही स्थित पुलिस थाना अशोक नगर, जयपुर के लिए रवाना होकर समय करीब 12.15 पीएम पर पुलिस थाना अशोक नगर, जयपुर पहुंच, प्रभारी अधिकारी, पुलिस थाना अशोक नगर, जयपुर की मौखिक सहमति ली जाकर थाना के स्वागत कक्ष में अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसके क्रम में संदिग्ध श्री विष्णु पारीक के पहनी हुई शर्ट की जैब में रखी रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र कुमार ईनाणिया से संदिग्ध की जैब से निकलवाई जाकर गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10,000/-रूपये होना पाये गये। दोनों स्वतंत्र गवाहन से उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहन ने हुबहु होना पाये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है-क्र0स0 नोट विवरण नोट के नम्बर का विवरण1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7KL0696742. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3SW8409873. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8US7364974. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3CV3831045. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9BU0714906. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6AD0235627. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8GC7840368. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5GF9782069. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3NB96119010. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3AF53027611. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4WV87231712. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4CF01610513. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8WL15018614. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7NB10929615. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9LB99228116. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0GE02102517. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3FV24326018. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6HF37295819. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1VM58728220. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8VH590925उपरोक्त बरामद शुदा रिश्वती राशि को स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र कुमार ईनाणिया के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात मन् टीएलओ द्वारा परिवादी से प्राप्त वॉईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चालू कर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेनदेन के वक्त परिवादी व आरोपी के मध्य संदिग्ध वार्ताऐं होना पाई गई। तत्पश्चात संदिग्ध श्री विष्णु पारीक से परिवादी श्री साकेत अग्रवाल से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो श्री विष्णु पारीक ने बताया कि श्री साकेत अग्रवाल की फर्म साकेत जैम्स का वर्ष 2014-15 का आयकर रिटर्न भरने के पश्चात आयकर विभाग द्वारा आईटीआर पर कुछ आक्षेप लगाकर आयकर जमा कराने का नोटिस निकाला था, जिस पर साकेत अग्रवाल द्वारा 27,00,000/- रूपये आयकर विभाग में जमा करवा दिये गये, जिसके विरूद्ध साकेत अग्रवाल ने एक अपील आयकर अपीलीय अधिकरण न्यायालय जयपुर में दायर की गई थी, जिसमें अधिकरण द्वारा श्री साकेत अग्रवाल के पक्ष मे फैसला करते हुये आयकर विभाग को उक्त जमा करवाई गई राशि ब्याज सहित लोटाने के आदेश किये, जिस पर आयकर विभाग द्वारा साकेत अग्रवाल के खाते में करीब 39,96,000/- रूपये जमा (रिलीज) किये गये थे। इसके अलावा साकेत अग्रवाल ने मेरे को बताया कि मेरा वर्ष 2018-19 का एक प्रकरण तथा उसका बकाया अमाउण्ट 25 लाख रूपये अभी आयकर विभाग में पैण्डिंग चल रहा तो मैंने इसको कहा था कि जो आ गया, उसका तो सेवा पानी कर दो तथा शेष बचे प्रकरण का भी आयकर विभाग के अधिकारियों को बोलकर आपकी मदद कर दूंगा। श्री साकेत जी पहले भी दिनांक 10.10.2025 को मेरे पास बातचीत करने आया था तथा आज भी अपनी कार लेकर मेरे कार्यालय में आया था, आने के बाद मैं उसकी कार में बैठकर उसके अकाउण्ट में जमा हो चुकी राशि तथा शेष बची राशि हेतु आयकर विभाग के उच्च अधिकारियों को कहकर साकेत अग्रवाल के खाते में जमा करवाने हेतू बातचीत की थी। मैंने साकेत अग्रवाल से आज कोई रूपये नही लिये, इसने जबरदस्ती मेरी जैब में 10,000/- रूपये रख दिये। जिस पर उपस्थित परिवादी साकेत अग्रवाल ने बताया कि यह झूठ बोल

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Chhotee Lal Meena **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb Impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]0/2025 1[illegible]2

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	07/04/1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)